संख्या-1289/77-3-2024-ई-1833799

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीसीडा, लखनपुर कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊः दिनांकः 04 अक्टूबर, 2024

विषय-उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक उद्योग नीति 2024 के प्रख्यापन के संबंध में।

महोदय,

पारम्परिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक (बायोडिग्रेडेबल और कम्पोस्टेबल) का प्रयोग कर प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाये जाने तथा निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर स्थानान्तरित करने एवं अपशिष्ट प्रबन्धन की समस्या को कम करने हेतु उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक उद्योग की स्थापना एवं उसे गति प्रदान किये जाने हेतु उद्योग नीति बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

2. उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े गन्ना उत्पादकों में से एक है, जो राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। राज्य की अनुकूल जलवायु और उपजाऊ मिट्टी की स्थिति गन्ने की व्यापक खेती को समर्थन देती है। गन्ना आधारित बायोमास की उपलब्धता, जो बायोप्लास्टिक उत्पादन के लिए एक मूल्यवान संसाधन है, गन्ने के उच्च उत्पादन की वजह से काफी अधिक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना आधारित बायोमास तथा अन्य बायोमास की प्रचुर मात्रा एक मजबूत बायोप्लास्टिक्स उद्योग के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। इस संसाधन का लाभ उठाकर, राज्य सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे सकता है, पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकता है, और अपने कृषि क्षेत्र की आर्थिक संभावनाओं को बढ़ा सकता है। समर्थ नीति ढांचा और मौजूदा अवसंरचना बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए संभावनाओं को और भी मजबूत बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक उद्योग नीति 2024 (प्रति संलग्न) का प्रख्यापन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. बायोप्लस्टिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए शासन द्वारा निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन स्वीकृति किये गये हैं-

उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना एक विशिष्टता रखने वाली प्रमुख कंपनी (*एंकर कम्पनी) द्वारा की जाएगी जो बायोमास का उपयोग करके PLA (पॉलीलैक्टिक एसिड) पैलेट्स का उत्पादन करती है। पार्क में बायोप्लास्टिक मूल्य श्रृंखला में विभिन्न छोटे और मध्यम उद्यम (SMEs) शामिल होंगे ताकि बायोप्लास्टिक निर्माण और प्रसंस्करण के लिए एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जा सके।

(*एंकर कंपनी जो बायोप्लास्टिक संयंत्र की स्थापना हेतु INR 1000 करोड़ या उससे अधिक निवेश करेगी।)

बायोप्लास्टिक विनिर्माण परियोजना (INR 1000 करोड़ या अधिक का निवेश) के लिए एंकर कम्पनी के लिए प्रस्तावित वित्तीय प्रोत्साहन

S.N.	Incentives
1	एंकर इकाई के लिए 7 वर्षों की अवधि में पात्र पूंजी निवेश के 50% की दर से पूंजी सब्सिडी।
2	सात वर्षों के लिए 5% की दर से ब्याज अनुदान।
3	10 वर्षों के लिए 100% की दर से शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति।
4	10 वर्षों के लिए बिजली शुल्क में छूट। इस नीति के अन्तर्गत स्थापित इकाईयों को विद्युत शुल्क में दी जाने वाली छूट की प्रतिपूर्ति औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0 को किया जायेगा।
5	पॉलिसी कट ऑफ तिथि के बाद में भूमि खरीदी जाती है तो स्टाम्प शुल्क में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 की व्यवस्था की भांति बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल क्षेत्र में 100 प्रतिशत, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में (गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद जनपद को छोड़कर) 75 प्रतिशत तथा जनपद गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। इस नीति के प्रख्यापन हेतु निर्गत अधिसूचना की तिथि कट ऑफ तिथि होगी।
6	ये सभी लाभ 10 वर्षों में पात्र पूंजी निवेश के 200% से अधिक नहीं होंगे।
7	अन्य इकाइयों (गैर-एंकर इकाइयों) को उद्योग, निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अनुसार प्रोत्साहन मिलेगा।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रस्तावानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

Manoj 4.10.24

(मनोज कुमार सिंह)

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

आयुक्त